R.536-I/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
17.3.15	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 12–1–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । — आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में केवल आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है और अपील निराकरण हेतु उनके समक्ष लंबित है, ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रकरण में नहीं है । जहां तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न है विचारोपरांत न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाने अथवा तीन माह जो भी पहले हो तक यथास्थिति बनाए रखी जाये । अपर आयुक्त को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण 3 माह की अवधि में आवश्यक रूप से करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

निगरानी 536-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–टीकमगढ़

चतुर्भज नायक पुत्र श्री द्वारका प्रसाद नायक निवासी ग्राम – लुहरगुवां तहसील पृथ्वीपुर जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

पुरूषोतम पाण्डे पुत्र श्री बाबूलाल पाण्डेय निवासी ग्राम – लुहरगुवां तहसील पृथ्वीपुर जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

.......अनावेदक

दि. 17.3.15 को ... प्रस्तुत
17-3-15

न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 180/अ–121/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.01.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

17/3/15

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा जो आदेश दिनांक 12.01.2015 को पारित किया है। वह अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायलय अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें धारा 52 का आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था। कि वह मन्दिर राजा रामचन्द्र जी का विधिवत् नियुक्त पुजारी है। तथा सेवा पूजा कार्य कर रहा है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से प्रस्ताव क्रमांक 6 आदेश दिनांक 20.06.2014 से उर पुजारी पद से पृथक कर अनावेदक को पुजारी नियुक्त किये जाने का आदेश दिया है। जबकि उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का को अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 2(06.2014 के आधार पर आवेदक को पुजारी पद से हटाया जा रहा है। ऐर स्थिति में आवेदक के पक्ष में स्थगन दिया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनर न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश पारि किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

... आवेदक के साथ है। ऐ